**प्रेस नोट संख्या 26**

**दिनांक 16.04.2026**

**सराहनीय कार्य थाना गौरीगंज पुलिस।**

**"ऑपरेशन चक्रव्यूह"अभियान के तहत 24 घण्टे में हत्या का खुलासा।**

**थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**अभियुक्तों की निशानदेही पर आलाकत्ल 01 चाकू व मृतका का मोबाइल फोन बरामद।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 15.04.2026 को आवेदक श्री ओमप्रकाश द्विवेदी पुत्र श्री अवधेश कुमार निवासी ग्राम चतुरीपुर मजरे मऊ थाना गौरीगंज अमेठी द्वारा थाना गौरीगंज पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी बहन अमिता देवी उम्र करीब 24 वर्ष की उसी गांव के एक व्यक्ति द्वारा उनकी बहन की हत्या कर दी गयी है। **उक्त सूचना पर थाना गौरीगंज पर मु0अ0सं0 90/26 धारा 103(1) बी0एन0एस0 बनाम सनोज पुत्र रामकिशोर पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक अमेठी महोदय द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संबन्धित को आवश्यक आदेश निर्देश दिये गये थे।**

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 16.04.2026 को क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अखिलेश वर्मा के कुशल नेतृत्व में श्री अरुण कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना गौरीगंज जनपद अमेठी मय हमराह द्वारा अभियोग उपरोक्त में नामजद अभियुक्त सनोज पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम चतुरीपुर मजरे मऊ थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष व विभिन्न माध्यमों से साक्ष्य संकलन के उपरान्त प्रकाश में आये अभियुक्त दुर्गेश्वरी गुप्ता पुत्र राममिलन गुप्ता निवासी ग्राम चतुरीपुर मजरे मऊ थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष को **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त सनोज ने बताया कि वह और मृतका अमिता देवी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनो एक-दूसरे से परिचित थे व बातचीत करते थे। पिछले कुछ समय से वह काम करने हेतु फरीदाबाद चला गया था मगर अभियुक्त व मृतका लगातार आपस मे संपर्क में रहते थे। इसी बीच मृतका का फोन अक्सर व्यस्त रहता था। जब सनोज द्वारा मृतका से उसका फोन व्यस्त होने का कारण पूछा तो मृतका ने अभियुक्त को स्पष्ट नहीं बताया था।

इसी बात से नाराज होकर **दिनांक 11.04.2026 को फरीदाबाद से वापस आकर उसने अपने मित्र दुर्गेश्वरी गुप्ता के साथ मिलकर अमिता देवी (मृतका) की हत्या करने की योजना बनाई थी। दिनांक 14.04.2026 को रात्रि में अभियुक्त सनोज ने मृतका को फोन करके गांव के बाहर नहर के किनारे बांस कोठी के पास बुलाया था। वहीं पर दुर्गेश्वरी गुप्ता भी मौजूद था। इसी बीच सनोज व अमिता देवी में पुरानी बातों को लेकर बहस होने लगी अमिता चिल्लाने लगी तो सनोज ने अमिता का मुंह दबाकर उसे दबा दिया तथा दुर्गेश्वरी ने उसके पैर पकड़ लिये इसके बाद सनोज ने अमिता की गला रेतकर हत्या कर दिया था।** अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल फोन व नहर पटरी के पास झाड़ियों से आलाकत्ल 01 अदद चाकू बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–**

1. सनोज पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम चतुरीपुर मजरे मऊ थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष।
2. दुर्गेश्वरी गुप्ता पुत्र राममिलन गुप्ता निवासी ग्राम चतुरीपुर मजरे मऊ थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष।

**बरामदगी-**

1. आलाकत्ल 01 अदद चाकू।
2. मृतका का मोबाइल फोन।

**पंजीकृत अभियोग-**

- मु0अ0सं0 90/26 धारा 103(1),3(5) बी0एन0एस0 थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. श्री अरुण कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
2. उ0नि बी0एल0 रावत थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
3. का0 पवन कुमार यादव थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
4. का0 रजत त्यागी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
5. का0 जबर सिंह थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
6. का0 आनन्द वर्मा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
7. म0का0 दीक्षा द्विवेदी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।